

**न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी (राज०)**  
पीठासीन अधिकारी- श्री राजेश जोशी  
आर.ए.एस.

मिसल संख्या:	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
84/प्रा.पत्र/2016	06.06.2016	24.07.2019

1. हनुमान आ. श्री देवकिशन जाति गुर्जर निवासी ग्राम माण्डपुर, तहसील नैनवां, जिला बून्दी।
2. नेवा आ. हाथिड़ा जाति गुर्जर निवासी जाडोल तहसील के. पाटन जिला बून्दी।
3. भोजा आ. हाथिड़ा जाति गुर्जर निवासी जाडोल तहसील के. पाटन जिला बून्दी।

- प्रार्थीगण

बनाम

1. आवंटन परामर्शदात्री जरिये उपखण्ड अधिकारी, नैनवां।
2. गोडू आ. प्रेमा जाति मीणा निवासी पीपल्या, तहसील नैनवां जिला बून्दी।

- अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) राजस्थान भू-राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 आवंटन दिनांक 25.05.1987 निरस्त करने बाबत।

उपस्थित :-

प्रार्थीगण की ओर से - श्री नारायण सिंह, अभिभाषक।  
अप्रार्थीगण की ओर से - श्री सुरेन्द्र कुमार लाठी, अभि।

-: निर्णय :-

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण ने अप्रार्थी मोडू आ. प्रेमा जाति मीणा निवासी पीपल्या को कृषि प्रयोजनार्थ किये गये भूमि आवंटन खसरा नं. 168 रकबा 08 बीघा ग्राम चीपल्टा, तहसील नैनवां को निरस्त करवाने हेतु प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण व अधीनस्थ न्यायालय की आवंटन पत्रावली तलब की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई।

अभिभाषक प्रार्थीगण ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि ग्राम चीपल्टा में खसरा नं.

168 में से 08 बीघा भूमि अप्रार्थी मोडू आ. प्रेमा को दिनांक 25.05.1987

अति० जिला कलक्टर  
बून्दी (राज०)

को गलत तरीके से आवंटन की गई है। आवंटन का राजस्व रेकार्ड में अमल नहीं हुआ है। इसके बावजूद भी आवंटी को दिनांक 10.02.2016 को खातेदारी अधिकारी दे दिये गये हैं। आवंटित भूमि पर आवंटन से लेकर खातेदारी अधिकार दिये जाने तक कभी भी आवंटी का कब्जा नहीं रहा है न ही काश्त की गई है। इसलिये आवंटन आदेश व खातेदारी आदेश निरस्तनीय है। आवंटनशुदा भूमि पर प्रार्थीगण का ही कब्जा काश्त है तथा वर्तमान में भी कब्जा काश्त प्रार्थीगण का ही है। राजस्व रेकार्ड खसरा परिवर्तनशील में प्रार्थीगण का ही कब्जा दर्ज है। प्रार्थीगण ने ही उक्त विवादित भूमि को काफी पैसा खर्च करके काश्त योग्य बनाया है। अपीलाधीन आवंटन आदेश व खातेदारी अधिकार की जानकारी दिनांक 10.05.2016 को पटवारी हल्का से जानकारी करने पर हुई कि पूर्व अनुसार प्रार्थीगण के नाम नोटिस पैनाल्टी नहीं आने पर पटवारी ने बताया कि उक्त भूमि अप्रार्थी के नाम आवंटन हो चुकी है तथा खातेदारी अधिकार दे दिये गये हैं तत्काल खसरा परिवर्तन व आवंटन आदेश की नकले प्राप्त कर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है प्रार्थना पत्र जानकारी होने के अन्दर अवधि पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी को किया गया आवंटन आदेश व खातेदारी आदेश निरस्त फरमाया जावे। अभिभाषक प्रार्थीगण ने अपनी बहस के समर्थन में आर.आर.डी.-2007 (2) की नजीर पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी को किया गया कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन दिनांक 25.05.1987 निरस्त फरमाया जावे।

अप्रार्थीगण अभिभाषक ने बहस के दौरान अपने जवाब को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अप्रार्थी मोडू आ. प्रेमा जाति मीणा को उक्त विवादित भूमि 30 वर्ष पूर्व आवंटित हुई थी। आवंटन के पश्चात कब्जा दिया गया है। आवंटन के पश्चात से ही आवंटी का लगातार काबिज होकर कब्जा काश्त चला आ रहा है। यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण ने अप्रार्थी को नाजायज परेशान करने की वजह से पेश किया गया है। अप्रार्थी को आवंटित भूमि पर खातेदारी अधिकार मिल चुके हैं। आवंटन की समस्त शर्तों का पालन करने व मौके पर कब्जा काश्त होने के बाद ही खातेदारी अधिकारी दिये जाते हैं। खातेदारी अधिकार मिलने के पश्चात आवंटन खारिज नहीं किया जा सकता एवं आवंटन खारिज करने का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी मय हर्जा के खारिज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की आवंटन पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थी को दिनांक 25.05.1987 को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पूर्ण कोरम में भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया था। आवंटन आवेदन पत्र पर पटवारी रिपोर्ट ली गई के अनुसार वक्त आवंटन आवंटित भूमि पर किसी का अतिक्रमण नहीं था। आवंटन के पश्चात आवंटित भूमि पर उपखण्ड अधिकारी, नैनवां द्वारा दिनांक 10.02.2016 को आवंटी को खातेदारी अधिकार दिये जा चुके हैं। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के साथ संवत् 2068, 2067, 2070, 2071 की खसरा परिवर्तनशील की नकलें पेश की गई हैं जिसमें 02 बीघा पर प्रार्थीगण का कब्जा अंकित है। आवंटी को आवंटन सलाहकार समिति

प्रति० जिला कलक्टर  
बन्दी (राज०)

द्वारा बाद जॉच पूर्ण कोरम में भूमि का आवंटन किया गया है वक्त आवंटन आवंटित भूमि पर किसी का अतिक्रमण नहीं था। आवंटित भूमि पर आवंटी को खातेदारी अधिकार दिये जा चुके हैं। विवादित भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त हो तो भी प्रार्थीगण की हैसियत मात्र अतिक्रमी की बनती है तथा अतिक्रमी को भूमि पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। यह सही है कि 14(4) की कार्यवाही पेश करने की विधि में निहित प्रावधानों के अनुसार कोई सीमा नहीं है लेकिन आवंटन दिनांक 25.05.1987 को करीब 30 वर्ष बाद 14(4) की कार्यवाही पेश किया जाना सन्देह से परे नहीं है। अप्रार्थी को सम्पूर्ण कोरम में विधिपूर्वक आवंटन किया गया है और आवंटन भूमि पर खातेदारी दी गई है जिसमें कोई विधिक दोष होना प्रमाणित नहीं होता है। परिणामस्वरूप प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किया जाता है तथा अप्रार्थी को किया गया भू-आवंटन दिनांक 25.05.1987 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली नियमानुसार फ़ैसल होकर बाद तकमील दाखिल दफ़तर हो।

आदेश आज दिनांक 24.07.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश जोशी R.A.S.)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर,  
बदा (राज.)